राजीव नारायण रैना से पहले, जे.

रानी देवी-अपीलकर्ता

बनाम

2013 का एफ. ए. ओ. सं. 4628, सर्वती देवी और अन्य प्रतिवादीओं

12 अक्टूबर, 2017

ए) मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. 166-खंड 166 का प्रावधान-विधवा माँ का दावा बरकरार-एक बार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उपलब्ध होने के बाद, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मुआवजे का कोई अधिकार नहीं है-द्वितीय श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को उचित नहीं ठहराने के कारण गैर-उपयुक्त विधवा माँ-पुरस्कार को दरकिनार कर दिया गया-मामला रिमांड पर लिया गया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 166 (संक्षेप में 'अधिनियम') के उस प्रावधान को, जिसे अनिवार्य के रूप में लागू किया गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।मृतक राज कुमार के भाई द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी थे और उन्हें अपनी विधवा माँ, जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी, की उपस्थिति में मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था।विधवा की अनुपस्थिति में में ही भाई द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों में मृत भाई की संपत्ति पर प्रत्यावर्तक के रूप में दावा कर सकते हैं।

(पैरा 12)

ख) दक्षिणी राज्य और बंगाल-दयाभाग कानून और मातृसत्तात्मक समाज।उत्तरी राज्य-मिताक्षर कानून और पितृसत्तात्मक समाज।दक्षिणी उच्च न्यायालयों के उन फैसलों पर भरोसा करना जो याचिका पर रोक लगाने के लिए दिए गए हैं क्योंकि उनकी बहू की आयु समाप्त हो चुकी है और वह बनाए रखने योग्य नहीं है।मामला नए सिरे से विचार के लिए रिमांड पर लिया गया है।

यह माना जाता है कि भारत और बंगाल के दक्षिणी राज्यों में दयाभाग कानून का पालन किया जाता है, जबकि इस न्यायालय और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में,

मिताक्षर कानून प्रचलित है क्योंकि दक्षिणी समाज में मातृसत्तात्मक समाज के खिलाफ पितृसत्तात्मक प्रणाली का पालन किया जाता है।न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय में प्रचलित कानून से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया है और प्रह्लाद राय के मामले में फैसले को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि रवि देवी द्वारा उनकी दिवंगत बहू के संबंध में याचिका विचारणीय नहीं है।

(पैरा 15)

उन्होंने आगे कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि रानी देवी को अपने बेटे और बहू सरिता की मृत्यु पर मुआवजे का हकदार होना चाहिए।हालांकि, मुआवजे और वितरण की मात्रा का सवाल न्यायाधिकरण के लिए विचार का विषय है न कि इस न्यायालय के लिए, पहली बार में, सरिता के माता-पिता के अधिकारों के खिलाफ।न्यायाधिकरण प्रलाद राय मामले में निर्णय और अन्य निर्णयों पर पुनर्विचार करेगा जिनका उसके समक्ष उल्लेख किया जा सकता है।

(पैरा 17)

N.S.Shekhawat, अधिवक्ता,

2013 के एफ. ए. ओ. Nos.4628,4953 और 5727 में अपीलकर्ता के लिए। P.K.Longia, अधिवक्ता,

2013 के एफ. ए. ओ. Nos.4628 और 6054 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 2 के लिए।R.K.Bashamboo, अधिवक्ता,

2013 के एफ. ए. ओ. No.6054 में अपीलकर्ता के लिए;

2013 के एफ. ए. ओ. No.4628 में प्रतिवादी संख्या 5 के लिए और

2013 के एफ. ए. ओ. No.4953 में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

बलराज सिंह राठी, अधिवक्ता,

2013 के एफ. ए. ओ. No.4953 में प्रतिवादी Nos.1 और 2 के लिए; और

2013 के एफ. ए. ओ. Nos.4628 और 6054 में प्रतिवादी Nos.3 और 4 के लिए।

राजीव नारायण रायना, जे.

(1) यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कुरुक्षेत्र द्वारा उसी दुर्घटना में 16.08.2013 पर दिए गए समेकित निर्णय से उत्पन्न उपरोक्त चार अपीलों का निपटारा करता है ।(2) 2013 के एफ. ए. ओ. No.4628 (2012 का एम. ए. सी. टी. मामला No.99) में, रानी देवी ने पुरस्कार को चुनौती दी है, जिसके तहत सरबती देवी और रघबीर सिंह को 40,200/- का मुआवजा दिया गया है; 2013 के एफ. ए. ओ. No.4953 (2012 का एम. ए. सी. टी. मामला No.98) में, रानी देवी ने पुरस्कार को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी बहू सरिता की मृत्यु के कारण Rs.50 लाख के मुआवजे का उनका दावा खारिज कर दिया गया था; और 2013 के एफ. ए. ओ. No.5727 (2012 का एम. ए. सी. टी. मामला No.97) में, रानी देवी ने पुरस्कार को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके मुआवजे का दावा <आई. डी. 5

राज कुमार ।(3) संक्षिप्त तथ्य यह है कि 02.07.2010 पर, राज कुमार और उनकी पत्नी, अर्थात् सरिता, एक नवविवाहित जोड़ा, कुरुक्षेत्र से सड़क मार्ग से गाँव भैंसी माजरा जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल पर No.HR-41D-0638, राज कुमार अपनी पत्नी के साथ पीछे बैठे थे ।उनके साथ बलवान सिंह और रमेश कुमार एक अलग मोटरसाइकिल पर No.HR-41C-7038 पर सवार थे ।रात करीब 9 बजे, जब राज कुमार और उनकी पत्नी सरिता कामोड़ा में बस स्टैंड पार करने के बाद कुरुक्षेत्र-ढांड रोड पर टेरी कॉलेज के पास पहुंचे, तो बहुत तेज गति से आ रहे स्टीयरिंग पर प्रतिवादी नंबर 1 के साथ पंजीकरण वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से और लापरवाही से टक्कर मार दी ।राज कुमार और सरिता ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर गिर गए और दुर्भाग्य से ट्रक के अगले पहिये ने उन्हें कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई ।

(4) मोटरसाइकिल पर सवार रमेश कुमार ने ट्रक के रुकने तक उसका पीछा किया ।पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रोहतक जिले के धोब गांव के निवासी ओम प्रकाश के बेटे बिजेंद्र के रूप में बताया ।उस मुठभेड़ के बाद चालक ट्रक को मौके पर खड़ा छोड़कर फरार हो गया ।दुर्घटनास्थल पर पुलिस पहुंची । जांच शुरू कर दी गई ।इस संबंध में चालक के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 279,336,337,304-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।अगले दिन कुरुक्षेत्र के डॉक्टरों ने राज कुमार और सरिता के शवों का पोस्टमार्टम किया ।

(5) राज कुमार सरकारी माध्यमिक विद्यालय, घरारसी में विज्ञान के शिक्षक थे। दुर्घटना के समय उनकी आयु 28 वर्ष थी और उन्होंने प्रति माह Rs.26,000/- का वेतन अर्जित किया।सरिता 26 वर्ष की थीं और श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में डिस्पेंसर के रूप में काम कर रही थीं।उनकी मासिक आय Rs.20,000/- थी।उन्होंने हाल ही में शादी की थी और परिवार शुरू नहीं किया था।

(6) आगे बढ़ने से पहले, पक्षों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक है।वही इस प्रकार है:

(i) रानी देवी राज कुमार (मृतक) की माँ हैं और

सरिता (मृतक) की सास;

(ii) सरबती देवी और रघबीर सिंह सरिता (मृतक) की मां और पिता हैं और राज कुमार (मृत) की सास और ससुर हैं।

(iii) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-

(7) घातक घटना के परिणामस्वरूप, मुआवजे के बारे में विवाद परिवारों के दो समूहों यानी पति पक्ष और पत्नी पक्ष में शुरू हुआ।

(8) रानी देवी ने दो दावे दायर किए, एम. ए. सी. टी. मामला No.97 अपने बेटे राज कुमार की मृत्यु के कारण Rs.50 लाख के मुआवजे का दावा करते हुए और एम. ए. सी. टी. मामला No.98 अपनी बहू सरिता की मृत्यु के कारण Rs.50 लाख के मुआवजे का दावा करते हुए; जबकि सरिता के माता-पिता ने 2012 के एम. ए. सी. टी. मामले No.99 के मुआवजे का दावा करते हुए Rs.40 लाख के मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की।

(9) अभिलेख पर सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद, कुरुक्षेत्र में न्यायाधिकरण ने अपने समेकित निर्णय दिनांक 16.08.2013 के माध्यम से रानी देवी द्वारा दायर दावे की याचिकाओं को खारिज कर दिया और सरिता (मृतक) के माता-पिता द्वारा दायर दावे की याचिका को स्वीकार कर लिया।

(10) न्यायाधिकरण ने सरिता (मृतक) के माता-पिता सरबती देवी और रघबीर सिंह द्वारा दायर दावे के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। 32 पुरस्कार इस प्रकार है:

"32. उपरोक्त अधिकारियों से यह स्पष्ट है कि विवाहित बेटी के मामले में मुआवजा उसके माता-पिता को दिया जाना है ।इसलिए, सरबती देवी और रघबीर सिंह सरिता की मृत्यु के कारण मुआवजे के हकदार हैं।"

(11) यद्यपि विवादित अधिनिर्णय में एक स्तर पर, रानी देवी का दावा केवल अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुआवजे तक ही सीमित रहा है, लेकिन वह इस कारण से गैर-उपयुक्त रही है कि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य था और यदि वे शामिल नहीं हुए हैं, तो उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा और जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो याचिका विचारणीय नहीं है।

(12) जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, मैं प्रस्तावित रिमांड आदेश के कारण कोई भी अंतिम राय व्यक्त करने से खुद को रोकता हूं ।हालाँकि, जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, मैं खुद को न्यायाधिकरण के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं पाता कि केवल इसलिए कि रानी देवी ने अपने शेष बेटों को दावेदार या कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं किया था, वह किसी मुआवजे की हकदार नहीं थी ।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 166 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधान, जिसे अनिवार्य के रूप में लागू किया गया है, को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

मृतक राज कुमार द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी थे और उन्हें अपनी विधवा माँ, जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, की उपस्थिति में मुआवजे का कोई अधिकार नहीं था ।विधवा की अनुपस्थिति में में ही भाई द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों में मृत भाई की संपत्ति पर प्रत्यावर्तक के रूप में दावा कर सकते हैं ।भाई, जो स्वतंत्र हैं और विवाह में बसे हुए हैं, उनकी आय के अपने स्रोत थे और वे स्वर्गीय राज कुमार पर निर्भर नहीं थे और मां की उपस्थिति में मुआवजे के लिए उनका कोई दावा नहीं था, क्योंकि उनके पिता की मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी ।इसलिए, मैं न्यायाधिकरण द्वारा गैर-मुकदमा रानी देवी को दी गई कानूनी स्थिति को प्रतिग्रहण करना नहीं करूंगा और याचिका को विचारणीय नहीं मानता ।यदि परीक्षा के दौरान माँ ने स्वीकार किया कि उसके दो और बेटे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।वास्तव में, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष तर्क की प्रकृति से विरोधाभासी है ।यदि मुकदमा विचारणीय नहीं माना जाता है, तब भी यह विधवा के मामले में

मुआवजे के विभाजन को प्रभावित करेगा, यदि मुआवजा एक साझा अधिकार है, तो यह उसे न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे का एक तिहाई हिस्सा देगा ।लेकिन रानी देवी को इनमें से कुछ भी नहीं मिला है और उन्हें ऊँचा और सूखा छोड़ दिया गया है।

(13) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कानून के बीच अंतर है, जहां 'उत्तराधिकारी' शब्द का उपयोग एक महिला द्वारा छोड़ी गई संपत्ति और मोटर वाहन अधिनियम में क्षतिपूर्ति नुकसान के संदर्भ में किया गया है क्योंकि दोनों अधिनियमों के उद्देश्य एक जैसे नहीं हैं। 1988 के अधिनियम में मुआवजे की राशि संपत्ति की प्रकृति की संपत्ति नहीं है ।'उत्तराधिकारी' शब्द को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 3 (1) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 'कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, जो [इस] अधिनियम के तहत एक निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है' और तदनुसार अधिनियम की खंड 166 के परंतुक में उपयोग की जाने वाली 'कानूनी प्रतिनिधि' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है और एक बेटे की मृत्यु के मामले में भाइयों के अधिकार मां के अधीन रहते हैं ।अधिनियम की खंड 166 के तहत मुआवजे के मामले में मृतक के अलावा अन्य बेटों पर निर्भरता पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में, खंड 166 (1) (सी) में प्रावधान है कि मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा आवेदन लाया जा सकता है ।विधायिका ने जब मोटर वाहन अधिनियम लागू किया तो बिना किसी विशिष्टता के सभी स्थितियों को समायोजित करने के लिए कानून को सामान्यीकृत किया और इसलिए, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में में, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी भी मुआवजे का दावा करने और इसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए कदम उठा सकते थे ।जब इस तरह से परीक्षण किया जाता है, तो निष्कर्ष अच्छा नहीं लगता है और इसे खारिज किया जा सकता है।

(14) के बीच अंतर-विवाद के संबंध में मुख्य मुद्दे पर आते हैं

रानी देवी और सरिता (मृतक) के माता-पिता, श्री शेखावत द्वारा बलपूर्वक यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रह्लाद राय और अन्य 1 में इस न्यायालय के फैसले में अंतर करने में पूरी तरह से गलत किया और इसके बजाय मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों का

पालन किया; हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय ने मामलों में, अर्थात्:

ग्लोरी बाई और एक और बनाम एस. के. ए. नूजाकन बीवी और अन्य (02.03.2011 पर निर्णय लिया गया); आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और दूसरा बनाम बोइना नेगभूषण राव और अन्य 2; और आनंदवल्ली अम्मा और अन्य बनाम केरल राज्य सड़क

परिवहन निगम और अन्य 3 इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को प्राथमिकता देते हैं।इस न्यायालय के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए इन तीन फैसलों का पालन करके, रानी देवी को अपनी बहू द्वारा से दावा किए गए मुआवजे से वंचित कर दिया गया है।

(15) भारत और बंगाल के दक्षिणी राज्यों में दयाभाग कानून का पालन किया जाता है, जबकि इस न्यायालय और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मिताक्षर कानून प्रचलित है, क्योंकि दक्षिणी समाज में मातृसत्तात्मक समाज के खिलाफ पितृसत्तात्मक प्रणाली का पालन उत्तरी भारत के क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से में किया जाता है और यह न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा किए गए दक्षिणी राज्यों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों में अंतर्निहित और सर्वज्ञानी सिद्धांत प्रतीत होता है। न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय में प्रचलित कानून से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया है और प्रह्लाद राय के मामले में फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि रानी देवी द्वारा अपनी दिवंगत बहू के संबंध में याचिका विचारणीय नहीं है।

(16) बीमा कंपनी की ओर से प्रह्लाद राय मामले में तर्क यह था कि सास-ससुर को मृतक का आश्रित नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, याचिका स्वयं विचारणीय नहीं है।विद्वान एकल न्यायाधीश (K.Kannan, J.) ने अपने आदेश में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 15 के तहत, बच्चों और पति की अनुपस्थिति में में, महिला की मृत्यु पर, पति के उत्तराधिकारी कानूनी उत्तराधिकारी होंगे।पिता और माता पति के उत्तराधिकारी हैं और इसलिए उन्हें कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में लिया जाएगा।अत: याचिका की स्थिरता पर संदेह नहीं किया जा सकता था।न्यायालय ने कहा कि निर्भरता की सीमा संभवत: भिन्न हो सकती है और यह आम तौर पर नहीं हो सकता है कि सास-ससुर को कहा जा सके

1 2010 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 153

2 2006 एसीजे 2443

3 1997 ए. सी. जे. 1044

बहू की कमाई पर निर्भर ।हालाँकि, अदालत ने राय दी कि इससे उस मामले में फर्क पड़ना चाहिए जहाँ दावेदार के बेटे की भी मृत्यु हो गई है ।एकल पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"3. ...अरुण कुमार अग्रवाल और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और अन्य में, 26 तारीख को निर्णय लिया गया

2010 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 827 में रिपोर्ट की गई 2010 की दीवानी याचिका सं 5843 में जुलाई, 2010:2010 आर. ए. जे. 262, उच्चतम न्यायालय सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु के मामले पर विचार कर रहा था और परिवार में एक गृहस्थ के योगदान के मूल्यांकन के मामले में वैश्विक दृष्टिकोण पर सुनवाई कर रहा था।

4. पीठ ने इसी तरह की चिंताओं को व्यक्त करते हुए दो स्वतंत्र निर्णयों द्वारा से बात की ।श्री न्यायाधीश ए. के. गांगुली ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले का उल्लेख किया

राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम माइनर दीपिका

2007 की सिविल विविध अपील संख्या 3049 और 2009 (6) एम. एल. जे. 1005 में रिपोर्ट की गई 27.04.2009 पर अन्य ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गृहिणियों की सेवाओं के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता का हवाला दिया।

XX XX XX

5. दीपिका में, अदालत ने अंततः सुझाव दिया कि गृहस्थ के योगदान को परिवार में पति के योगदान के 50 प्रतिशत के रूप में लिया जाना चाहिए ।मैं इसे केवल बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित एक विशेष दृष्टिकोण का जवाब देने के लिए निर्धारित कर रहा हूं कि सास-ससुर को आश्रित नहीं माना जा सकता था और दावा याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए था। मैंने पहले ही मान

लिया है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है कि बहू अपने पति के घर में सास-ससुर की देखभाल करती है ।इस मामले में स्थिति वास्तव में मार्मिक है कि दावेदारों ने अपने बेटे को भी खो दिया है। भारतीय स्थिति में बहू की उपस्थिति और उनकी सेवाओं के मूल्य को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। पुत्रवधू जलाने के लिए नहीं हैं ।इस तरह की घटनाएं अपवाद हैं और जल्द ही, वे भूल जाने वाले अनुभव होंगे, अगर समाज इस अभिशाप को खत्म करने के लिए संकल्प के साथ काम करता है, तो विचार और कार्रवाई में बहू को घर बनाने में एक घटिया भूमिका सौंपी जाती है ।बहू अगली पीढ़ी के लिए पारिवारिक परंपरा का वाहक है;

बलिदान का जीवित अवतार; पारंपरिक मूल्यों का भंडार और जैविक परिवार की परवरिश के साथ पति की पारिवारिक प्रथाओं का मिश्रण।"

(17) इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि रानी देवी को अपने बेटे और बहू सरिता की मृत्यु पर मुआवजे का हकदार होना चाहिए ।हालांकि, मुआवजे और वितरण की मात्रा का सवाल न्यायाधिकरण के लिए विचार का विषय है न कि इस न्यायालय के लिए, पहली बार में, सरिता के माता-पिता के अधिकारों के खिलाफ। न्यायाधिकरण प्रह्लाद राय मामले में फैसले और अन्य फैसलों पर फिर से विचार करेगा जिनका उसके समक्ष उल्लेख किया जा सकता है।

(18) इस मामले में मुआवजे का सवाल शायद ही कोई कठिनाई प्रस्तुत करता है जब बीमा कंपनी उल्लंघन करने वाले ट्रक के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा पॉलिसी की वैधता पर सवाल उठाकर देयता पर विवाद नहीं करती है ।चूंकि मृतक दोनों सरकारी कर्मचारी और वेतनभोगी कर्मचारी थे, इसलिए आय का दस्तावेजीकरण किया जाता है और व्यापक रूप से जाना जाता है और भविष्य की संभावनाओं सहित दावे के पारंपरिक शीर्षों आदि के तहत मुआवजे पर पहुंचने के लिए गुणक/गुणक विधि को आसानी से लागू किया जा सकता है, जब दंपति जीवित होते तो सेवानिवृत्ति तक रोजगार स्थिर था।

(19) जबकि न्यायाधीशाधिकरण ने सरिता के माता-पिता को 30,40,200/- का आदेश दिया है, रानी देवी द्वारा दायर दावा याचिकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला है, जो न्यायाधीश का उपहास प्रतीत हो सकता है। उनके बेटे राज कुमार द्वारा से भी इस दावे को उनकी बहू से एक सुपर तकनीकीता पर अकेले छुट्टी से इनकार कर दिया गया है।

(20) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, 2013 के एफ़. ए. ओ. एफ़. 16.08.2013 ए. ओ. एफ़. एसरिता के माता-पिता के पक्ष में पुरस्कार नए सिरे से विचार के लिए अलग रखा गया है ।दावा याचिकाओं को कानून के अनुसार एक नया निर्णय पारित करके नए सिरे से विचार के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है ।

(21) सरिता के माता-पिता को दिए गए मुआवजे की राशि का वितरण नहीं किया जाएगा और इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया अंतरिम आदेश रिमांड में अंतिम निपटान तक जारी रहेगा और इसके तीन महीने बाद पक्षकारों के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना जारी रहेगा, यदि वे न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय से व्यथित हैं ।

(22) इस स्तर पर, रानी देवी की ओर से पेश हुए श्री शेखावत ने बार में कहा कि रानी देवी बनाम सर्वती देवी के माता-पिता सरबती देवी और रघबीर सिंह और अन्य

सरिता (मृतक) के चार बच्चे हैं जो जीवन में अच्छी तरह से बसे हुए हैं और अपने अलग वैवाहिक घरों में रहते हैं ।एक के बारे में वे कहते हैं कि वह प्रिंसिपल है और दूसरे फोटोग्राफर, मेसन और एक दुकानदार हैं ।वह आगे प्रस्तुत करता है कि स्वर्गीय सरिता के माता-पिता उसकी आय पर निर्भर नहीं थे और उनकी अपनी आय के स्रोत थे, जबकि विधवा (रानी देवी) के दो जीवित बेटे हो सकते हैं, लेकिन वे मृत राज कुमार के साथ रह रहे थे ।यह न्यायाधिकरण के लिए रिमांड कार्यवाही में निर्भरता के सवाल पर विचार करने का भी मुद्दा है ।आगे के सबूत, यदि कोई हैं, तो रिमांड निर्देश देने तक ही सीमित रहेंगे और पिछले सबूत बरकरार रहेंगे ।

(23) अब सरिता (मृतक) के माता-पिता के दावे के खिलाफ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 2013 के एफ. ए. ओ. <आई. डी. 1 पर आते हुए, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवादित पुरस्कार को ही अलग कर दिया गया है और दावा याचिकाओं को रिमांड से संबंधित सभी पहलुओं

पर नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया है ।कंपनी अपील में अपने आधार पर नए सिरे से अपनी बात रखेगी ।तदनुसार, इस अपील को कानून के अनुसार तय किए जाने वाले रिमांड में पुनर्विचार के लिए मुद्दों को खुला रखते हुए खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

शुभरीत कौर

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

योगेश कुमार

ट्रांसलेटर